I/100926/2024

दिनांक—18.12.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की जिलावार प्रगति की मासिक समीक्षात्मक बैठक में की गई समीक्षा एवं निदेश के मुख्य बिन्दु।

उपस्थितिः— यथा संधारित।

दिनांक—18.12.2023 को श्री ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एवं श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना की उपस्थिति में राज्य के 20 जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रगति की समीक्षा सम्बन्धित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) एवं भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ की गई।

जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर पर जिलावार तैयार किए गए समेकित एवं तुलनात्मक प्रतिवेदन की समीक्षा उपरान्त जिलों को दिए गए निदेश निम्नवत् हैं—

1. **प्रथम चरण अंतर्गत जिला के सभी राजस्व ग्रामों की प्रगति की समीक्षाः**— दिनांक—28.11.2023 को हुई राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक—30.06.2023 तक सभी जिलों में 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार प्रकाशित किये गए लक्ष्य के आलोक में की गई। समीक्षा में पाया गया कि अब तक मात्र 6 जिलों यथा—अररिया, नालंदा, पूर्णियाँ, शेखपुरा, शिवहर एवं सुपौल द्वारा लक्ष्य पूरा किया गया है एवं पूर्णिया द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति के साथ—साथ प्रथम चरण अंतर्गत सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा की गई, जो निम्नवत हैः—

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रथम चरण जिला अंतर्गत कुल राजस्व ग्राम	0—2500 खेसरों वाले ग्राम		2500 से 5000 खेसरों वाले ग्राम	
			2500 खेसरों तक वाले कुल ग्राम	प्रपत्र—12 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	प्रपत्र—12 प्रकाशित ग्राम
1	अररिया	144	78	78	32	02
2	अरवल	312	166	123	71	02
3	बांका	309	169	149	57	08
4	बेगूसराय	435	299	244	66	02
5	जमुई	155	69	55	30	01
6	जहानाबाद	240	159	134	56	3
7	कटिहार	167	116	101	34	0
8	खगडया	158	78	57	45	0
9	कशनगंज	460	284	98	98	0
10	लखीसराय	387	243	191	86	1

I/100926/2024

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रथम चरण जिला अंतर्गत कुल राजस्व ग्राम	0—2500 खेसरों वाले ग्राम		2500 से 5000 खेसरों वाले ग्राम	
			2500 खेसरों तक वाले कुल ग्राम	प्रपत्र—12 प्रकाशित ग्राम	कुल ग्राम	प्रपत्र—12 प्रकाशित ग्राम
11	मधेपुरा	114	61	48	18	0
12	मुंगेर	306	264	234	33	6
13	नालंदा	396	211	207	102	33
14	पूर्णियाँ	72	53	53	06	0
15	सहरसा	122	42	29	45	0
16	शेखपुरा	284	160	160	64	57
17	शवहर	80	29	29	25	10
18	सीतामढी	253	90	74	106	0
19	सुपौल	252	76	76	64	33
20	प0 चम्पारण	281	153	140	63	5
	कुल	**4927**	**2800**	**2280**	**1101**	**163**

2. **2500 खेसरों तक वाले ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन की समीक्षाः—** 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि 2500 खेसरा तक वाले कुल 2800 राजस्व ग्रामों में अब तक मात्र 2280 राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है एवं अक्टूबर द्वितीय सप्ताह से दिसम्बर द्वितीय सप्ताह के मध्य मात्र 446 राजस्व ग्रामों की प्रगति हुई है, जबकि 2500 से 5000 खेसरों तक वाले कुल 1101 राजस्व ग्रामों में मात्र 163 का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशन पूर्व प्राप्त कुल 51442 दावा—आपत्तियों में मात्र 18389 एवं प्रपत्र—12 के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त कुल आपत्ति 56616 में मात्र 20564 को निष्पादित किया गया है। उक्त प्रगति के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि प्रपत्र—20 में प्रकाशित अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों एवं निष्पादन सम्बन्धी आदेश की जिलावार सूची बनाकर अलग से समीक्षा की जाए एवं जिन राजस्व ग्रामों में नियमावली के अनुरूप कालावधि पूर्ण हो गई है, उनका अधिकार अभिलेख अंचल स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिलों में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों के प्रगति की विगत् 3 माह की प्रक्रमवार प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिलावार प्रगति निम्नवत पाई गई—

03/भू०अ०नि(04)व0सर्वे0—03/2022(खण्ड—1)

I/100926/2024

SL. NO.	District	Mauza	2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति															18.12.23
			प्रारूप प्रकाशन			खानापुरी			प्रपत्र 6 इंटी			एल०पी० एम० लंबित	एल०पी०एम० वतरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम		वश्राति के लए लंबित राजस्व ग्राम		Map Updation के लए लंबित राजस्व ग्राम	
			अक्टूबर दितीय सप्ताह	दिसम्बर दितीय सप्ताह	प्रगति	अक्टूबर दितीय सप्ताह	दिसम्बर दितीय सप्ताह	प्रगति	अक्टूबर दितीय सप्ताह	दिसम्बर दितीय सप्ताह	प्रगति	दिसम्बर दितीय सप्ताह	अक्टूबर दितीय सप्ताह	दिसम्बर दितीय सप्ताह	अक्टूबर दितीय सप्ताह	दिसम्बर दितीय सप्ताह	अक्टूबर दितीय सप्ताह	दिसम्बर दितीय सप्ताह
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ARARIA	78	70	78	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
2	ARWAL	166	51	115	64	0	0	0	9	1	8	0	46	25	15	17	35	8
3	BANKA	168	115	149	34	0	0	0	0	0	0	0	34	9	14	11	5	0
4	BEGUSARAI	299	229	244	15	12	5	7	9	11	2	2	15	14	0	1	11	7
5	JAMUI	69	39	55	16	0	0	0	2	0	2	1	12	4	15	4	0	5
6	JEHANABAD	159	92	134	42	0	0	0	2	0	2	0	26	13	12	40	13	2
7	KATIHAR	116	78	101	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
8	KHAGARIA	78	32	57	25	1	1	0	5	1	4	0	32	11	1	4	5	4
9	KISHANGANJ	284	66	98	32	73	23	50	58	57	1	24	52	82	3	0	0	0
10	LAKHISARAI	243	138	191	53	3	0	3	3	4	1	0	48	24	33	13	1	10
11	MADHEPURA	61	44	48	4	0	0	0	2	0	2	0	8	7	4	5	2	1
12	MUNGER	264	183	234	51	1	1	0	5	0	5	0	49	22	0	7	19	0
13	NALANDA	211	188	207	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PURNIA	53	41	53	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
15	SAHARSA	42	25	29	4	0	0	0	6	0	6	0	5	6	5	6	0	0
16	SHEIKHPURA	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	SITAMARHI	90	49	74	25	0	0	0	0	0	0	0	36	6	2	5	3	5
19	SUPAUL	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	W. CHAMPARAN	153	121	140	19	0	0	0	3	0	3	0	9	10	1	0	7	3
	Total:-	2799	1826	2272	446	90	30	60	104	74	36	27	372	233	105	113	118	66

2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रगति की समीक्षा उपरान्त 2500 से 5000 खेसरा तक वाले ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण के प्रगति की समीक्षा की गई और निम्नवत प्रगति पाई गई—

2500 से 5000 खेसरा तक वशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति														दिनांक-18-12-2023
क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र - 6 इंट्री प्र क्रयाधीन ग्रामों की संख्या	एल0पी0एम0		सुनवाई		अभ्युक्ती
					वैसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नही हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र - 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0पी0 एम० लंबित	एल0पी0एम० वतरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	32	2	30	0	3	2	11	14	0	7	0	05 नक्शा लंबित
2	अरवल	71	2	69	0	25	0	32	5	0	19	5	
3	बांका	57	8	49	0	24	2	9	0	2	9	3	
4	बेगूसराय	65	2	63	9	35	1	8	0	5	5	0	
5	जमुई	30	1	29	0	7	0	9	4	0	4	5	
6	जहानाबाद	56	3	53	0	3	9	23	3	0	13	2	
7	कटिहार	34	0	34	0	0	0	0	0	0	16	18	
8	खग डया	46	0	46	0	22	0	12	2	0	9	0	
9	कशनगंज	98	0	98	60	24	10	3	0	0	0	0	
10	लखीसराय	86	1	85	0	56	0	25	0	0	5	0	
11	मधेपुरा	18	0	18	0	3	3	8	0	0	3	1	
12	मुंगेर	33	6	27	0	1	0	10	1	0	13	0	02 मौजा का प्रारूप प्रकाशन की प्र क्रया में है।
13	नालंदा	103	33	70	0	21	3	25	1	17	6	11	दो राजस्व ग्रामों का सी0एस0 मान चत्र अनुपलब्ध होने के कारण उनका खानापुरी कार्य प्रारंभ नहीं कया गया है।
14	पू र्णयाँ	6	0	6	0	0	0	1	0	5	0	0	
15	सहरसा	44	0	44	4	15	2	8	1	0	11	4	
16	शेखपुरा	64	57	7	0	0	0	0	0	0	3	4	
17	शवहर	29	10	19	0	1	4	5	0	0	5	0	
18	सीतामढी	106	0	106	13	36	8	24	0	0	24	1	
19	सुपौल	64	33	31	5	10	0	5	2	0	7	2	
20	प0 चम्पारण	63	5	58	0	17	6	17	6	0	7	5	
	कुल	1105	163	942	91	303	50	235	39	29	166	61	

उपरोक्त समीक्षा उपरान्त वैसे जिलों जिनके द्वारा अब तक 2500 खेसरा तक वाले सभी राजस्व ग्रामों का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है, उनके द्वारा बैठक में दिए गए प्रगति प्रतिवेदन एवं आश्वासन के आलोक में 2500 खेसरा तक वाले राजस्व ग्रामों के प्रारूप अधिकार के प्रकाशन निम्नरूपेण समय—सीमा निर्धारित की गई—

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल राजस्व ग्राम	प्रगति एवं लक्ष्य
1.	अररिया	144	2500 खेसरों तक वाले सभी 78 राजस्व ग्रामों का प्रपत्र—12 प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित। 2500—5000 खेसरों वाले कुल 32 ग्रामों में 3 को छोड़कर शेष में दिसम्बर, 2023 के अंत तक एल0पी0एम0 वितरण का लक्ष्य एवं 5000 से अधिक खेसरों वाले 34 ग्रामों में मार्च, 2024 तक एल0पी0एम0 वितरण का लक्ष्य।
2.	अरवल	312	2500 खेसरों तक वाले सभी 166 राजस्व ग्रामों में 115 ग्रामों का प्रपत्र—12 प्रकाशित, शेष में 15 जनवरी, 2024 तक प्रपत्र—12 का प्रकाशन का लक्ष्य। 2500—5000 खेसरों वाले कुल 71 ग्रामों के 19 में दिसम्बर, 2023 के अंत तक प्रपत्र—12 के प्रकाशन, 14 ग्रामों में दिनांक—22.12.2023 तक तथा 18 ग्रामों में दिनांक—10.01.2024 तक प्रपत्र—6 की इन्ट्री पूर्व किए जाने, 25 ग्रामों में दिनांक—10.01.2024 तक खानापुरी पूर्ण किए जाने तथा 5000 से अधिक खेसरा वाल 58 ग्रामों में फरवरी, 2024 तक खानापुरी पूर्ण किए जाने का लक्ष्य।
3.	बांका	309	2500 खेसरा तक वाले कुल 169 राजस्व ग्रामों में 149 का प्रपत्र—12 प्रकाशित। 17 ग्रामों में दिनांक—31.12.2023 तक तथा शेष में दिनांक—10.01.2024 तक प्रपत्र—12 प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य 2500—5000 खेसरा वाले कुल 57 राजस्व ग्रामों में 24 का प्रपत्र—12 आगामी 01 माह में तथा शेष का मार्च, 2024 तक प्रपत्र—12 प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य।
4.	बेगूसराय	435	2500 खेसरा तक वाले कुल 298 ग्रामों में 02 ग्रामों में रेलवे की भूमि होने एवं विवरणी अप्राप्त रहने के कारण कठिनाई 244 का प्रपत्र—12 प्रकाशित। 14 ग्रामों का आगानी 10 दिनों में तथा शेष का दिनांक—15.01.2024 तक प्रपत्र—12 के प्रकाशन का लक्ष्य। 2500—5000 वाले 65 ग्रामों में से 15 ग्रामों का दिनांक—31.01.2024 तथा 20 ग्रामों का दिनांक—28.02.2024 तक प्रपत्र—12 के प्रकाशन का लक्ष्य जबकि शेष का 15 मार्च, 2024 तक। 5000 से अधिक खेसरों वाले कुल 76 ग्रामों में से 55 गामों जहाँ खानापुरी चल रही है, में प्रपत्र—12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
5.	जमुई	155	2500 खेसरा तक वाले कुल 69 ग्रामों में से एक का पूर्व खतियान एवं मानचित्र उपलब्ध नहीं है। 58 ग्रामों का प्रपत्र—12 प्रकाशित एवं शेष का दिनांक—31.12.2023 तक। 2500—5000 खेसरा वाले कुल 30 तथा 5000 से अधिक खेसरा वाले 56 राजस्व ग्रामों में मार्च, 2024 तक प्रपत्र—12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
6.	जहानाबाद	240	2500 खेसरा तक वाले कुल 159 ग्रामों में 134 का प्रपत्र—12 प्रकाशित शेष का दिनांक—31.12.2023 तक। 2500—5000 खेसरा वाले 56 ग्रामों का दिनांक—31.01.2024 तक प्रपत्र—12 के प्रकाशन का तथा 5000 से अधिक खेसरा वाले कुल 25 ग्रामों में से 12 का दिनांक—28.02.2024 तक प्रपत्र—12 प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य।

7.	कटिहार	167	2500 खेसरा तक वाले कुल 116 में 101 का प्रपत्र–12 प्रकाशित एवं शेष का दिनांक–31.12.2023 तक। 2500–5000 में कुल 34 में से 18 का दिनांक–15.01.2024 तक तथा शेष का दिनांक–25.01.2024 तक एवं 5000 से अधिक खेसरा वाले 31 ग्रामों में दिनांक–31.03.2024 तक किए जाने का लक्ष्य।
8.	खगड़िया	158	2500 खेसरा तक वाले कुल 78 ग्रामों में से 61 का प्रपत्र–12 प्रकाशित शेष 1 को छोड़कर शेष दिनांक–15.01.2024 तक, 2500–5000 खेसरों वाले कुल 45 ग्रामों में दिनांक–28.02.2024 तथा 5000 से अधिक खेसरा वाले 31 ग्रामों में दिनांक–31.03.2024 तक प्रपत्र–12 प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य।
9.	किशनगंज	460	2500 खेसरा तक वाले 284 ग्रामों में 98 का प्रपत्र–12 प्रकाशित, 13 ग्रामों में दिनांक–31.12.2023 तक, 139 ग्रामों में दिनांक–15.01.2024 तथा शेष में दिनांक–31.01.2024 तक प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य, 2500–5000 खेसरा वाले कुल 98 ग्रामों में 84 में दिनांक–15.02.2024 तक खानापुरी पूर्ण कर दिनांक–15.03.2024 तक प्रपत्र–12 प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य।
10.	लखीसराय	387	2500 खेसरा तक वाले 243 ग्रामों में 196 का प्रपत्र–12 प्रकाशित तथा शेष का दिनांक–31.12.2023 तक, 2500–5000 खेसरा वाले कुल 87 ग्रामों में दिनांक–15.02.2024 तक प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य तथा 5000 खेसरा से अधिक वाले प्रकाशन का लक्ष्य तथा 5000 खेसरा से अधिक वाले 57 ग्रामों में दिनांक–15.03.2024 तक प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
11.	मधेपुरा	114	2500 खेसरा तक वाले कुल 61 में से 48 का प्रपत्र–12 प्रकाशित 09 ग्रामों का दिनांक–31.12.2023 तक एवं शेष 04 का दिनांक–15.01.2024 तक। 2500–5000 खेसरा वाले कुल 18 ग्रामों में दिनांक–31.01.2024 तक खानापुरी पर्चा वितरण का लक्ष्य एवं प्रथम चरण के शेष सभी ग्रामों में दिनांक–31.03.2024 तक प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
12.	मुंगेर	306	2500 खेसरा तक वाले कुल 264 में 234 का प्रपत्र–12 प्रकाशित शेष का दिनांक–31.12.2023 तक। 2500–5000 खेसरा वाले सभी 33 ग्रामों में दिनांक–20.01.2024 तक एल0पी0एम0 वितरण दिनांक–28.02.2024 तक प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य। 5000 खेसरों से अधिक 9 ग्रामों में दिनांक–31.03.2024 तक प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
13.	नालंदा	396	2500 खेसरा तक वाले 211 ग्रामों का प्रपत्र–12 प्रकाशित 2500–5000 खेसरा वाले 102 ग्रामों में 25 ग्रामों का दिनांक–10.01.2024 तक, 21 ग्रामों का दिनांक–15.01.2024 तथा सम्पूर्ण जिले के प्रथम चरण अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों का मार्च, 2024 तक प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
14.	पूर्णियां	872	2500 खेसरा तक वाले सभी 53 ग्रामों का प्रपत्र–12 प्रकाशित 2500–5000 खेसरा वाले 06 ग्रामों का दिनांक–31.01.2024 तक तथा 5000 से अधिक खेसरा वाले कुल 13 राजस्व ग्रामों में 6 का दिनांक–31.01.2024 तक तथा शेष का दिनांक–28.02.2024 तक प्रपत्र–12 प्रकाशन किए जाने का लक्ष्य।
15.	सहरसा	122	2500 खेसरा तक वाले कुल 42 ग्रामों में 29 का प्रपत्र–12 प्रकाशित एवं शेष का दिनांक– 31.12.2023 तक। 2500–5000 खेसरा वाले कुल 45 ग्रामों में 15 का दिनांक–31.12.2023 तक तथा शेष का दिनांक–31.01. 2024 तक। प्रपत्र–12 के प्रकाशन का लक्ष्य। 5000 से अधिक खेसरा वाले 35 राजस्व ग्रामों में दिनांक–15.03.2024 तक प्रपत्र–12 का प्रकाशन का लक्ष्य।

16	शेखपुरा	284	224 का प्रपत्र—12 एवं 160 का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रपत्र—20 प्रकाशित। 2500—5000 खेसरा वाले 64 ग्रामों का दिनांक—31.12.2023 तक तथा 5000 खेसरा से अधिक खेसरा वाले ग्रामों में 52 का दिनांक—28.02.2024 तक तथा 08 राजस्व ग्रामों का दिनांक—31.03.2024 प्रपत्र—12 प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य।
17	शिवहर	80	2500 खेसरा तक वाले सभी 29 ग्रामों का प्रपत्र—12 प्रकाशित 2500—5000 खेसरा वाले 15 ग्रामों में 05 का दिनांक—31.12.2023 तक 10 का प्रपत्र—12 प्रकाशित शेष में 05 ग्रामों का दिनांक—31.12.2023 तक, 05 ग्रामों का दिनांक—07.01.2024 तक तथा 10 ग्रामों का दिनांक—15.02.2024 तक प्रपत्र—12 प्रकाशन का लक्ष्य एवं प्रथम चरण के सभी ग्रामों में दिनांक—31.03.2024 तक प्रपत्र—20 का प्रकाशन।
18	सीतामढ़ी	253	2500 खेसरा वाले कुल 90 ग्रामों में 77 का प्रपत्र—12 प्रकाशित एवं शेष का दिनांक—31.12.2023 तक। 2500 से 5000 खेसरा वाले कुल 106 ग्रामों में 24 का प्रपत्र—12 दिनांक—31.01.2024 तक, 22 ग्रामों में दिनांक—31.01.2024 तक एल0पी0एम0 वितरण एवं 25 ग्रामों में खानापुरी पूर्ण करने का लक्ष्य। 5000 खेसरा अधिक वाले 37 राजस्व ग्रामों में दिनांक—31.03.2024 तक प्रपत्र—12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
19	सुपौल	252	2500 खेसरा तक वाले सभी 76 ग्रामों का प्रपत्र—12 प्रकाशित 2500—5000 खेसरा वाले कुल 64 ग्रामों में 33 का प्रपत्र—12 प्रकाशित एवं 15 को छोड़कर शेष का दिनांक—31.01.2024 तक तथा 15 ग्रामों का दिनांक—15.02.2024 तक एवं 5000 से अधिक खेसरा वाले कुल 59 ग्रामों में दिनांक—31.03.2024 तक प्रपत्र—12 के प्रकाशन का लक्ष्य।
20	पश्चिम चम्पारण	281	2500 खेसरा तक वाले कुल 153 राजस्व ग्रामों में 140 का प्रपत्र—12 प्रकाशित एवं शेष का दिनांक—31.12.2023 तक 2500 से 5000 खेसरा वाले कुल 63 ग्रामों का दिनांक—28.02.2024 तक तथा 5000 से अधिक खेसरा वाले 45 ग्रामों का दिनांक—31.03.2024 तक प्रपत्र—12 प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य।

जिलास्तरीय समीक्षा, प्रगति एवं प्रथम चरण अन्तर्गत राजस्व ग्रामों में अधिकार अभिलेख एवं निर्माण के कार्य को पूर्ण करने के लिए लक्ष्य निर्धारण के पश्चात् विभिन्न जिलों के स्थापना, आवंटन, सॉफ्टवेयर इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के सम्बन्ध में जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समीक्षोपरान्त निदेश दिए गए।

बन्दोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा सीतामढ़ी में सुनवाई प्रक्रम में प्राप्त बड़ी संख्या में दावा, आपत्तियों को देखते हुए कम—से—कम 02 कानूनगो एवं 04 शिविर प्रभारी को सीतामढ़ी में पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया। सुपौल जिले द्वारा भी अतिरिक्त शिविर प्रभारी एवं शिवहर द्वारा अतिरिक्त अमीन को पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया। सीतामढ़ी के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बथनाहा—2 शिविर की पायल कुमारी के विरूद्ध उनके स्तर से उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया, जबकि अरवल एवं बेगूसराय के बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा भी बताया गया कि उनके स्तर से जिन कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, वे अभी तक लंबित हैं। बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा यह भी बताया गया कि उनके डोंगल की कालावधि दिसम्बर में समाप्त होने वाली है।

जिलास्तरीय स्थापना आदि आवंटन के सम्बन्ध में अरवल द्वारा 01 लाख रू0 यात्रा मद में, शिवहर द्वारा 09 लाख रू0 महंगाई भत्ता मद में, बेगूसराय द्वारा 40,000/—रू0 बिजली मद में, सीतामढ़ी, मधेपुरा द्वारा बकाया वेतन इत्यादि भुगतान हेतु, जमुई द्वारा वाहन मद में, नवादा द्वारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के बकाया वेतन के लिए, अररिया द्वारा महंगाई भत्ता

I/100926/2024

मद में 1,2,3200/—रू0, सुपौल, नालंदा एवं शेखपुरा द्वारा क्रमशः 2, 3, 3 लाख संविदा सेवा मद में, प0 चम्पारण द्वारा मजदूरी मद तथा मुंगेर द्वारा 01 लाख बिजली मद में आवंटन देने का अनुरोध किया गया।

भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर सम्बन्धी समस्याओं के सम्बन्ध में बन्दोबस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के आलोक में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन उपरान्त द्वितीय विश्रांति प्रक्रम उपरान्त प्रपत्र—18 (क) में लगान दर तालिका तैयार कर सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त को जाँच हेतु उपलब्ध कराई जाती है, किन्तु प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त द्वारा जाँच के क्रम में पाई गई त्रुटियों के लिए सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के पास वापस किए जाने के पश्चात् एवं प्रपत्र—20 में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने के पूर्व एक बार सम्पूर्ण अधिकार अभिलेख के निर्माण की जाँच के लिए अंतिम रूप से विश्रांति के तृतीय प्रक्रम की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त द्वारा एक से अधिक बार त्रुटि सुधार के लिए वापस किए जाने पर नियमानुकूल प्रक्रिया क्या होगी इस सम्बन्ध में भू—अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी प्रस्ताव दिया गया कि किसी भी नये विशेष सर्वेक्षण शिविर के गठन में शिविर स्तर पर एक Technical Assistant का पदस्थापन किया जाना आवश्यक है। यह भी बताया गया कि अनेक जिलों में बन्दोबस्त पदाधिकारियों के परिवर्त्तन के कारण नये बन्दोबस्त पदाधिकारियों के लिए डोंगल बनाए जाने की आवश्यकता है तथा पूर्व से बने जिन डोंगल की वैधता समाप्त हो रही है, उनकी नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। बैठक में Reference खेसरा की प्रविष्टि तथा बड़ी संख्या में एल0पी0एम0 निर्गत करने में आ रही कठिनाई का समाधान बैठक में उपस्थित आई0टी0 सेल के प्रोग्रामर द्वारा कर दिया गया।

सहायक निदेशक द्वारा बैठक में बताया गया कि उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद् के महामंत्री द्वारा माननीय राजस्व मंत्री के माध्यम से प्रपत्र—18 (क) में निर्धारित किए जाने वाले भू—लगान हेतु पूर्व से निर्धारित भूमि की श्रेणी में औद्योगिक श्रेणी को भी शामिल करने का अनुरोध किया गया है। इस आलोक में प्रपत्र—6 (खेसरा पंजी) के कॉलम—11 एवं प्रपत्र—18 (क) के कॉलम—4 में परिवर्त्तन किये जाने की आवश्यकता है।

जिलास्तरीय प्रगति, प्रथम चरण अन्तर्गत आच्छादित राजस्व ग्रामों में अंतिम तथा प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने का लक्ष्य, जिलास्तरीय समस्याओं आदि की समीक्षा उपरान्त निम्नांकित निदेश दिए गए—

जिलावार प्रगति एवं 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किए जाने की समय—सीमा निर्धारित किये जाने के पश्चात् निम्नांकित निदेश दिए गएः—

(i) निदेश स्तर से जिलास्तरीय विशेष सर्वेक्षण कार्य की प्रगति, जिलों में शिविर प्रभारी, कानूनगो एवं अमीन की आवश्यकता एवं पदस्थापित कर्मियों की समीक्षा कर जिलों में विभिन्न स्तर के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन का प्रस्ताव समर्पित किया जाए। जिलावार विभिन्न मद में मांग किए गए आवंटन को निदेशालय में उपलब्ध आवंटन से यथासम्भव मांग के अनुरूप उपलब्ध करा दिया जाए।

(अनुपालन—स्थापना/बजट शाखा एवं सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप)

(ii) भू—सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर सम्बन्धी कठिनाईयों के समाधान के लिए विशेष सर्वेक्षण शाखा एवं आई0टी0 सेल प्रोग्रामर द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर जिलों को उपलब्ध कराए जाने वाले मार्गदर्शन का प्रारूप उपस्थापित किया जाए। साथ ही डोंगल के संबंध में की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जाए।

(अनुपालन—विशेष सर्वेक्षण शाखा एवं प्रभारी, आई0टी0 सेल/ प्रोग्रामर)

I/100926/2024

(iii) MIS प्रगति प्रतिवेदन में प्रदर्शित नालंदा, लखीसराय, खगड़िया, अरवल जिले के उन ग्रामों की समीक्षा अलग से कर ली जाए, जिनमें कुछ विशिष्ट कारणों से किस्तवार का कार्य लंबित है।

(अनुपालन—सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप)

(iv) जिन बन्दोबस्त कार्यालयों यथा—अररिया आदि के द्वारा वैसे ग्रामों का मानचित्र जो बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना में अनुपलब्ध है और ग्राम स्तर से बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा प्राप्त कर डिजिटाईज्ड किए जाने हेतु बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा प्राप्त कर डिजिटाईज किए जाने हेतु बन्दोबस्त कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को उपलब्ध कराया गया है, उनके डिजिटाईजेशन के कार्य को बिना किसी प्रकार के सत्यापन संबंधी कार्रवाई के किया जाए।

(अनुपालन— उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग)

(v) जमुई के बन्दोबस्त पदाधिकारी—सह—अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि खैरा शिविर—2—2 के विशेष सर्वेक्षण अमीन, श्री सुमित सौरभ, Emp ID- AEN02095 के विगत दो—तीन माह से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं सर्वेक्षण सम्बन्धी कागजातों को शिविर स्तर पर जमा नहीं करने के कारण कठिनाई हो रही है। सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि श्री सुमित सौरभ के संविदा समाप्ति की कार्रवाई की जा चुकी है।

निदेशित किया गया कि ऐसे अमीन जो अनाधिकृत रूप से लम्बी अवधि तक अनुपस्थित हैं और विशेष सर्वेक्षण कागजात भी समर्पित नहीं कर रहे हैं, उनके विरूद्ध अविलम्ब स्थानीय थाना के साथ समन्वय कर दण्डात्मक कार्रवाई की जाए एवं प्राथमिकी भी दर्ज की जाए।

(अनुपालन— बन्दोबस्त पदाधिकारी, जमुई एवं अन्य जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(vi) सभी विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों में जिन—जिन विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के विरूद्ध बन्दोबस्त कार्यालय स्तर से प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की कार्रवाई की गई है, वहां के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित थाना, जिले के S.S.P / S.P को कृत कार्रवाई से अवगत कराने संबंधी पत्र दिया जाए।

(अनुपालन— सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी)

(vii) विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त वाले वैसे जिले यथा—बांका, जमुई आदि में बटा नं० वाले ग्रामों की संख्या बहुत अधिक है वहां बट्टा नं० वाले ग्रामों के लिए उनके प्रचलित नाम के साथ नये थाना नं० अंकित करने के लिए विधिसम्मत् प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन—सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप एवं विशेष सवक्षण कोषांग)

(viii) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्त्तमान समय में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों में मुंगेर, बेगूसराय एवं लखीसराय में क्रमशः 3, 2 एवं 2 राजस्व ग्राम टोपोलैण्ड की श्रेणी में आते हैं।

निदेशित किया गया कि ऐसे ग्रामों के लगान रसीद की कार्यालय प्रति को अंचल अथवा जिला अभिलेखागार से प्राप्त करने का प्रयास किया जाए एवं राजस्व अभिलेखों की स्कैनिंग / डिजिटाईजेशन करने वाले एजेंसी से इन ग्रामों से सम्बन्धित जमींदारी रिटर्न अथा अन्य कागजात जिनको स्कैन किया गया हो, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। साथ ही यदि इन ग्रामों एवं अन्य ग्रामों की फील्ड बुझारत पंजी यदि प्राप्त होती है तो उनको स्कैन करने के लिए सम्बन्धित एजेंसी को निदेशित किया जाए।

(अनुपालन— बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर, बेगूसराय एवं लखीसराय तथा सहायक निदेशक, भू—अभिलेख एवं परिमाप)

I/100926/2024

(ix) निदेशित किया गया कि भूमि के वर्गीकरण में औद्योगिक प्रकृति की भूमि को प्रपत्र–6 एवं प्रपत्र–18 (क) में सम्मिलित करने के संबंध में बन्दोबस्त कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त किया जाए एवं इस भूमि सम्परिवर्त्तन अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत लाया जा सकता है अथवा नहीं, इस संबंध में प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं विशेष सर्वेक्षण कोषांग)

ह0/–
(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या–03/मू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0–09/2022(खण्ड–1)................पटना, दिनांक...........

1. **प्रतिलिपिः** समाहर्त्ता, किशनगंज/बंदोबस्त पदाधिकारी, सहरसा/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ/मधेपुरा/अरवल/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. **प्रतिलिपिः** भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0), किशनगंज/सहरसा/कटिहार/मुंगेर/नालंदा/खगड़िया/पूर्णियाँ/मधेपुरा/अरवल/जमुई/बेगूसराय/लखीसराय/जहानाबाद/अररिया/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण/शिवहर/बांका/शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. **प्रतिलिपिः** राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. **प्रतिलिपिः** जिलों से संबंधित तीनों हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. **प्रतिलिपिः** उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. **प्रतिलिपिः** श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. **प्रतिलिपि** : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
8. **प्रतिलिपि** : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Binod Kumar Pankaj
Date: 02-01-2024 10:58:37
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।